न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/286/2011

उनवान

1. भैरू पिता हर लाल गुर्जर निवासी कुम्हारिया तहसील व जिला भीलवाडा
2. मिठा लाल पुत्र खुबचन्द सिघवी निवासी वकील कोलोनी, भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्रीमती बरदी बेवा एकलिंग कीर निवासी मंगरोप तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 2/2011 निर्णय दिनांक 14.10.2011

अधिवक्तागण :–

1. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री एस एल गुर्जर प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.2.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा17 (अ) राजस्थान मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना (सरकारी भूमि आवंटन) 1968 बाबत भू आवंटन निरस्त कराने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा दिनांक 8.6.1992 को कैम्प भोली में ग्राम कुम्हारिया की आराजी नम्बर 834/9 रकबा 1 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई, जो कानूनन गलत की गई थी। क्योंकि यह भूमि वक्त अवंटन प्रार्थीया के पति व प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में होकर ओक्यूपाईड थी, जिस पर प्रार्थीया व उसके पति काश्त कर रहे थे। वादग्रस्त भूमि के कब्जे बाबत आवंटन/कमेटी के समक्ष कोई रिपोर्ट व जानकारी नहीं ली गई। आवंटन कमेटी को आवंटी/विपक्षीगण ,हल्का पटवारी द्वारा मिलीभगत कर आवंटन कराया गया है। जो नियम विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। आवंटन से पूर्व वादग्रस्त भूमि के लिए उद्घोषणा जारी नहीं की गई । वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु विपक्षी संख्या 1 ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उसके कॉलम नम्बर 2 को पूर्ण रूप से खाली छोडा गया । अपने आवेदन मे यह भी कहा कि वक्त आवंटन आवंटी भैरू लाल व उसके परिवार में पर्याप्त भूमि खाते में दर्ज थी जो नहीं बताया गया । उसके परिवार के सदस्यों की भूमि को बताया जाता तो आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता, और विपक्षी संख्या 1 के पास पर्याप्त भूमि होने से वह आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1/ आवंटी का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी व उसके पति एवं उसके ससुर ने काफी धन खर्च कर उपजाऊ बनाया । प्रार्थीया का परिवार भूमिहीन काश्तकार होकर आवंटन की पात्रता रखते हैं। यदि इस भूमि को आवंटन से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पूर्व आम नागरिकों की जानकारी में लाया जाता तो प्रार्थीया या उसके पति द्वारा आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता । विपक्षी संख्या 1/आवंटी ने कोई नजराना राशि जमा नहीं कराई यदि उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होता तो निश्चित ही वह नजराना राशि जमा कराता। राजस्व रेकार्ड से भी यह साबित है। विपक्षी संख्या 1/आवंटन ने कब्जा दिनांक 16.7.2005 में लेना बताया । इससे स्पष्ट है कि आवंटी को आवंटन के समय कब्जा नहीं दिया गया न आज ही उसका कब्जा है। प्रार्थीया व उसके परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा प्रार्थीया के परिवार का जीवन कृषि पर निर्भर है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की अन्य भूमि से सटी हुई है, जिसे छोटी पट्टी के रूप में नियमन/आवंटन प्रार्थीया व उसके परिवारजन अपने नाम पर करवाने का अधिकार रखते है। वादग्रस्त भूमि को अभी हाल ही में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान गुपचुप तरीके से वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने के इरादे से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकर प्राप्त कर विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1/आवंटी का मुख्य कार्य आवंटन करवाकर भूमि को महंगे दामों में विक्रय करना रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीया को बेदखल करने का प्रयास किया तब प्रार्थीया को आवंटन की जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 ने गलत तरीके से अपने नाम पर आवंटित करवाकर विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दी है। विपक्षी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि का अपने आपको खरीददार बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को किया गया वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाये।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 891/9 रकबा 1 बीघा का अपीलार्थी संख्या 1 को विधिवत आवंटन कमेटी ने आवंटन किया है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि का आवंटन छल–कपट अथवा मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा नहीं कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने अपीलाधीन आदेश में वादग्रस्त आराजी छल–कपट,मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा कराया जाना नहीं माना है। आवंटी का आवंटन खातेदारी प्राप्त होने पर निरन्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि छल–कपट द्वारा अथवा मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा कराया जाना साबित नहीं हो जाता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी/विपक्षी संख्या 1 किया गया आवंटन अपीलाधीन आदेश से निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता था । अपीलार्थी के स्वयं के पास जो भूमि उपलब्ध थी उस तथ्य को अपीलार्थी ने बताया था। अपीलार्थी को वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में मानकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त रहा है। नजराना राशि जमा कराने के लिए अपीलाण्ट तत्पर रहा है उसके द्वारा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। उसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त अपीलार्थी द्वारा नजराना राशि जमा करा दी गई थी। अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी सिपुर्द कर दिया गया था एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाडा द्वारा वादग्रस्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी हक से अपीलार्थी के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज कर दी गई थी। उक्त तथ्य की पुष्टि में जमाबंदी संवत 2065 से 2068 तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। उसके उपरान्त अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की गई जिस पर अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रदान की गई। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त रहा है इसके पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर खसरा गिरदावरी चतुर्वषीय सलग्न है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में वादग्रस्त भूमि पर काश्त की गई जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रदान की गई है। अपीलार्थी ने वक्त आवंटन कोई तथ्य नहीं छिपाये थे। आवंटन कमेटी ने सभी तथ्यों की गहनता से जांच करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन किया था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमकसूद तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को ही निरस्त कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीया ने अपना कब्जाकाश्त होने का कथन किया जबकि उसके द्वारा कब्जे संबंधी कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया । यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटन से शिकायत थी अथवा प्रत्यर्थीया आवंटन की पात्र थी तो उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि का स्वयं के नाम पर आवंटन कराने हेतु आवेदन पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया। वादग्रस्त आराजी की अपीलार्थी को गैर खातेदारी वर्ष 2005 में प्राप्त हो चुकी थी उसके उपरान्त अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त चला आ रहा था । आवंटन शर्तो की पालना में कैम्प-भोली में दिनांक 18.11. 2010 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये । राजस्व रेकार्ड में वर्ष 2005 में ही अपीलार्थी के पक्ष में गैर खातेदारी हक से इन्द्राज कर दिया गया था तो वर्ष 2011 यानि 6 वर्ष तक प्रत्यर्थीया ने क्यों कोई कार्यवाही नहीं की । मात्र अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से प्रत्यर्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त कराये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीया का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी की आराजी से सटी हुई थी एवं उसका कब्जाकाश्त था तो उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपने नाम छोटी पट्टी के रूप में आवंटन/नियमन कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। प्रत्यर्थीया का कभी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही नहीं रहा है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी संख्या 1 को आवंटित होने के बाद कब्जा तो अपीलाण्ट संख्या 1 को दे दिया गया मगर नजराने की राशि तत्समय अपीलाण्ट संख्या 1 गरीब काश्तकार होने से जमा नहीं करा सका लेकिन बाद में अपीलाण्ट संख्या 1 ने नजराने की राशि मय ब्याज व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पेनल्टी जमा करा दी जो जमा होने पर भूमि निजाय किया गया व आवंटन बहाल रखा गया ।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी संख्या 1 के पास अधिक भूमि होना मान वादग्रस्त भूमि के आवंटन को धारा 63 (9) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मनसुख करने में भारी भूल की है। जबकि वास्तव में अपीलाण्ट संख्या 1 के परिवार के सदस्यों के बाबत कोई विचार नहीं किया गया । अपीलाण्ट के परिवार में अपीलाण्ट की माता एवं अपीलाण्ट भैरू व उसका भाई उदा व दो लडकियॉ नानी एवं फूमि है। इस प्रकार अपीलाण्ट संख्या 1 के परिवार में 5 सदस्य है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का नोशनल शेयर 04 बीघा भूमि से अधिक का नहीं बनता है। इस प्रकार अपीलाण्ट संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में ही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पास भूमि अधिक होना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । जो खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी को व्यावसायिक प्रयोजन के लिए आवंटन नहीं करवाया है। अपीलाण्ट ने वादग्रस्त आराजी पर काश्त की है उसके उपरान्त अपीलाण्ट को आवंटन शर्तो की पालना करने के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त विक्रय किया गया था।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी को ग्राम कुम्हारिया में स्थित आराजी खसरा नम्बर 834/09 रकबा 1 बीघा भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि प्रयोजन के लिए भू आवंटन कमेटी ने दिनांक 8.6.1992 को आवंटन किया गया था किन्तु तथाकथित आवंटन के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पश्चात आवंटी/अपीलाण्ट ने आवंटित आराजी भू भाग पर जिस पर प्रत्यर्थी का कब्जाकाश्त था इस कारण अपीलाण्ट द्वारा कोई नजराना राशि जमा नहीं कराई गई और राज्य सरकार की ओर से नजराना राशि जमा नहीं होने से आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही करने पर वर्ष 2005 में अपीलार्थी ने आवंटित भू भाग के लिए नजराना राशि जमा कराने का कथन किया है। अपीलार्थी को आवंटन 1992 में किया गया था जिसकी नजराना राशि 13 वर्ष तक जमा नहीं कराई गई जो प्रथम दृष्टया ही आवंटन शर्तो का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 1 के पास वक्त आवंटन निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वक्त आवंटन अपीलार्थी के पास 2 बीघा सिंचित भूमि, व असिंचित 7.11 बीघा भूमि उपलब्ध थी। सिंचित के डबल करने पर अपीलार्थी के पास कुल 11.11 बीघा भूमि स्वयं के नाम दर्ज थी। अपीलार्थी के पिता के नाम पर सिंचित भूमि 6.03 बीघा व असिंचित भूमि 9.18 बीघा थी। सिंचित भूमि को डबल करने पर अपीलार्थी के पिता के पास 22.04 बीघा भूमि उपलब्ध थी। अपीलार्थी के खाते की भूमि में अपीलार्थी के पिता की भूमि का नोशनल शेयर को मिलाने पर निर्धारित सीमा से अधिक भूमि अपीलार्थी के पास थी। जिससे अपीलार्थी आवंटन का पात्र ही नहीं था। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है।

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 891/9 रकबा 1 बीघा पर प्रत्यर्थीया व उसके पति का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कब्जाकाश्त काफी पुराने समय से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी से सटती हुई प्रत्यर्थीया की आराजी नम्बर 9 है । वादग्रस्त आराजी का रकबा 1 बीघा होने से प्रत्यर्थीया वादग्रस्त आराजी को छोटी पट्टी के रूप में अपने नाम आवंटन/नियम कराने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में वादग्रस्त आराजी को छोटी पट्टी के रूप में आवंटन किये जाने हेतु निर्देश भी दिये गये हैं। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी के पास अपीलार्थी की कोई आराजी नहीं है। छौटी पट्टी का आवंटन पडौसी खातेदार को किये जाने का प्राावधान है। जिसकी पात्रता प्रत्यर्थीया रखती है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन गुप–चुप तरीके से अपीलार्थी ने अपने नाम करवा लिया था। इसकी जानकारी तत्समय प्रत्यर्थीया को नहीं हो पाई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

14. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने स्वयं अपील मेमो में आवंटित भूमि को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान करना बताया है। जबकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार भूमिहीन काश्तकारों को कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन किया गया था ताकि भूमि भूमिहीन काश्तकार आवटित भूमि पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके लेकिन अपीलार्थी ने ऐसा नहीं किया अपीलार्थी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त करते ही आवंटित भूमि को अपीलार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिया । अपीलार्थी का यह कृत्य पूर्णतया राज्य सरकार की भूमि आवंटन के संबंध में बनाये गये नियमों के विपरीत है। इस आधार पर अपीलार्थी ने व्यावसायिक प्रयोजन के लिए आवंटन कराकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उसे विक्रय कर पुनः भूमिहीन की परिभाषा में रहने का एक तरीका था। जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित आवंटन को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है।

15. प्रत्यर्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने आवंटन शर्तो की पालना में नजराना राशि जमा नहीं कराई थी। अपीलार्थी को आवंटन वर्ष 1992 में कर दिया गया था जिसके उपरान्त उसके द्वारा नजराना राशि जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा भी सुपुर्द नहीं किया जा सका था। इस संबंध में पटवारी हल्का ने 25.2.1993 को ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन वर्ष 1992 में किया गया एवं उसके 13 वर्ष पश्चात अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा सुपुर्द करना आवंटन शर्तो का उल्लंघन है। अपीलार्थी ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम गैर खातेदारी से दर्ज कराया एवं उसके उपरान्त खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्राप्त किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी। यदि उद्घोषणा की जाती तो प्रत्यर्थी संख्या 1 निश्चित ही वादग्रस्त भूमि के आवंटन के लिए आवेदन करती । वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं उसके पति का कब्जाकाश्त चला आ रहा था।

17. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कमाण्ड क्षेत्र की भूमि के लिए खातेदारी अधिकार दिये जाने का अधिकार नायब तहसीलदार,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हमीरगढ को प्राप्त नहीं थे उसके बावजूद नायब तहसीलदार हमीरगढ द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को विधिविरूद्ध खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। उसके उपरान्त अपीलार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी को अपीलार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिया है। जबकि भूमिहीन काश्तकार को आवंटन काश्त कर अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए किया जाता है। बिकाव करने के लिए आवंटन नहीं किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निणर्य पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी पी सी दिनांक 25.7.2013 एवं दिनांक 30.9.2015 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से रिलिवेंट होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये गये जिनका प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन कियागया । अपीलार्थी संख्या 1/आवंटी को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम कुम्हारिया की आराजी नम्बर 834/9 रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 8.6.1992 को किया गया जिसके तहत आवंटित भूमि का नजराना राशि वसूल किये जाने के निर्देश अंकित है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थी संख्या 1/आवंटी के आवेदन पर पूर्ण जांच–पडताल के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलार्थी संख्या 1/आवंटी को किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पटवारी हल्का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की रिपोर्ट दिनांक 25.2.93 संलग्न है जिसमें पटवारी हल्का ने आवंटी द्वारा बार–बार कहने पर भी नजराना राशि जमा नहीं कराने के कारण पैमूदगी नहीं किये जाने का तथ्य अंकित किया है। इसके विपरीत अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि वह तत्समय गरीब काश्तकार होने से नजराना राशि समय पर जमा नहीं करा पाया । लेकिन बाद में नजराने की राशि मय ब्याज व पेनल्टी सरकार में जमा करा दी । अपीलार्थी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत भोली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा अंकन किया गया कि ''मुझे जमीन आवंटित की गई उसका हकनामा अभी तक नहीं मिला है। '' जिस पर कार्यवाही की गई एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 1. 12.2002 को रिपोर्ट अंकित की गई की '' प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.1.2002 को ही नजराना कमाण्ड 1000/–रू0 जमा किया जा चुका है प्रार्थी को भूमि सुपुर्द कर सुपुर्दगी नामा तहसील में पेश किया जा चुका है। अतः रेकार्ड में इन्द्राज कराने हेतु रूक्का जारी कराया जावे। '' यद्यपि अपीलार्थी द्वारा नजराना राशि विलम्ब से जमा कराई गई है परन्तु नजराना राशि जमा कराने की दिनांक तक अपीलार्थी के आवंटन के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आवंटन के विरूद्ध नहीं की गई थी। अपीलार्थी द्वारा नजराना जमा कराने के उपरान्त ही वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा दिनांक 25.10. 2005 को जारी किये गये थे।

20. कब्जा सुपुर्दगी के बाद अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त रहा है इसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.11.2010 को तैयार कर गैर खातेदारी से खातेदारी दिलाने बाबत निवेदन किया गया । जिसमें अन्य आवंटी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उदय लाल पिता भैरू लाल, जवारा पिता भागीरथ जाट , मगना पिता पेमा रेगर द्वारा उनको आवंटित की गई भूमि पर काश्त नहीं किये जाने के तथ्य के साथ ही कॉलम नम्बर 3 में भैरू लाल पिता हर लाल गूजर/आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करने का तथ्य अंकित किया गया है। उक्त रिपोर्ट पटवारी के आधार पर दिनांक 18.11. 2010 को वादग्रस्त आराजी नम्बर 891/9 रकबा 1 बीघा भूमि भैरू लाल आत्मज हर लाल गुजर निवासी कुम्हारिया` नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

21. अपीलार्थी को आवंटन किये जाने एवं नजराना राशि जमा कराने, अपीलार्थी के पक्ष में गैर खातेदारी से दर्ज किये जाने तक प्रत्यर्थीया द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की गई एवं न ही वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताते हुए वादग्रस्त आराजी को अपने हक में आवंटन/नियमन कराने हेतु कोई आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी/कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इसके बारे में प्रत्यर्थीया ने कोई कथन नहीं किया है।

22. प्रत्यर्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीया का कब्जाकाश्त था ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि आवंटन हेतु रिक्त नही थी। परन्तु अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि का आवंटन किये जाने में कोई रोक नहीं है। ऐसी भूमि ओक्यूपाईड भूमि नहीं मानी जाती है। अपीलार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका पुराना कब्जा है तो उसे वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रत्यर्थीया द्वारा इस प्रकार का कोई वाद प्रस्तुत किया गया हो ध्यान में नहीं लाया गया है।

23. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन छोटी पट्टी के रूप में नहीं किये जाने से राजस्व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का नुकसान होने का तथ्य अपने आदेश में अंकित किया है। उक्त तथ्य को आवंटन से पूर्व भी सक्षम अधिकारी/कमेटी को ध्यान रखना चाहिये था । चूंकि आवंटन के उपरान्त अपीलार्थी के द्वारा नजराना राशि जमा कराने के कारण एवं आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के उपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। आवंटी को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के उपरान्त आवंटी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो कि आवंटी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन छल–कपटपूर्वक अथवा मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा कराया गया हो। अपीलाधीन मामले में यह तथ्य न तो प्रत्यर्थी द्वारा प्रमाणित कराया गया है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही अपने अपीलाधीन आदेश में माना है।

24. अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं अंकित किया गया कि आवंटित की गई जमीन से संबंधित कागजात दिलाये जावे। उसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2005 में नजराना राशि जमा कराने के उपरान्त ही अपीलार्थी के नाम वादग्रस्त आराजी को गैर खातेदारी में जमाबंदी संवत 2065–2068 में दर्ज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपीलार्थी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज करने, कब्जा सुपुर्द करने के उपरान्त इतनी लम्बी अवधि 6 वर्ष तक कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया इस बारे में कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया है।

25. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन रहा है कि अपीलार्थी के पास वक्त आवंटन सीमा से अधिक भूमि होने से वह आवंटन के लिए पात्र नही था परन्तु यह राजस्व रेकार्ड से साबित नहीं किया गया था कि अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के पास जो भूमि थी वह स्वअर्जित थी अथवा पुश्तैनी । अपीलार्थी के पिता के वह एकमात्र पुत्र नहीं होकर अपीलार्थी के एक भाई , स्वयं अपीलार्थी एवं दो बहने व पिता जी का शेयर होता है तो अपीलार्थी के हिस्से में मात्र 4 बीघा भूमि ही नोशनल शेयर में आता है। प्रत्यर्थी द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया था कि अपीलार्थी संख्या 1 उसके पिता की एकमात्र संतान हीं रही हो।

26. अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का अपने पक्ष में आवंटन कराने हेतु कोई छल–कपट, मिथ्या दुर्व्यपदेशन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के उपरान्त खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने से पूर्व उक्त तथ्य का प्रमाणित होना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

27. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2011 को निरस्त किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी 891/9 रकबा 1 बीघा को पुनः अपीलार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसके उपरान्त अन्य वांछित प्रविष्टि उत्तरोतर नियमानुसार की जा सकेगी ।

28. निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

25/2/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा